


राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

पंचायत समिति के विकास की
पंचवर्षीय (2007–2012) योजना

●—————●
पंचायत समिति

1. पंचायत समिति की सामान्य सूचना

1.1

- ग्राम पंचायतों की संख्या
- ग्रामों की संख्या
- जनसंख्या (2001 की जनगणनानुसार)
- परिवारों की संख्या
- अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
- व्यवसायिक कार्यों में कुल कार्यशील जनसंख्या
- i. मुख्य कार्यशील (Main Workers).....
 - a. कृषक (Cultivators).....
 - b. कृषि श्रमिक (Agriculture Labours)
 - c. गृह उद्योग कामगार (House Hold Industrial Workers).....
 - d. अन्य कामगार (Other Workers).....
- II. सीमान्त कामगार (Marginal Workers)

1.2 पंचायत समिति की अर्थव्यवस्था

- सामाजिक एवं आर्थिक विकास की स्थिति में हम कहां हैं ?

1.3 शिक्षा

- 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत

	कुल बच्चें	स्कूल जाने वालों की संख्या	नामांकन प्रतिशत
i. लड़के
ii. लड़कियां

- सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी पश्चात् स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या
 - i. लड़के

ii. लड़कियाँ

- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या

	लड़के	लड़कियाँ
i. इन्जीनियरिंग कालेज
ii. आई. टी. आई
iii. पोलोटेक्निक
iv. मेडिकल कॉलेज
v. एम.बी.ए.
vi. अन्य

- ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में होशियार हैं और जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है लेकिन गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहें विवरण

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	छात्रों की संख्या
1	2	3

- साक्षरता प्रतिशत

1.4 स्वास्थ्य और स्वच्छता

- 0-1 आयु वर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर सेवायें दिये जाने का प्रतिशत.....
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे बच्चों का प्रतिशत
 - i. 0-3 आयु वर्ग प्रतिशत
 - ii. 3-6 आयु वर्ग प्रतिशत
- पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएँ/किशोरी बालिकाओं की संख्या
 - i गर्भवती महिलाएँ
 - ii. किशोरी बालिकाएँ
- अशोधित जन्म दर (CBR)
- शिशु मृत्यु दर (IMR)
- अशोधित मृत्यु दर (CDR)
- कितने प्रतिशत घरों में शौचालय उपलब्ध है

- कितने प्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है

1.5 गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत

- आवासविहीन परिवारों का प्रतिशत
- कच्चे घरों में रह रहे परिवारों का प्रतिशत

1.6 परिवारों का प्रतिशत जिनकी आजीविका निर्भर है:—

- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र
- कृषि श्रमिक.....
- अन्य सेवायें (Service).....

1.7 स्थानीय संसाधनों से पंचायत समिति स्तर पर विकास की क्या संभावनाएँ हैं ?

1.8 विकास में आने वाली बाधाएँ क्या-क्या हैं ?

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य (Goals and Objectives) वर्ष 2007–2012

2.1 शिक्षा

- 6–14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन।
- सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण करने वाले 30 प्रतिशत बच्चों उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेंगे।
- सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण करने वाले बच्चों जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं लेते ऐसे 50 प्रतिशत बच्चों व्यावसायिक शिक्षा हेतु आई.टी.आई. व पोलोटेक्निक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेंगे।
- पंचायत समिति की साक्षरता दर 90 प्रतिशत होगी।

2.2 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- अशोधित जन्म दर – 20
- शिशु मृत्यु दर – 40
- 0–1 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण।
- सभी क्षय रोगियों का पंजीयन कर DOT's के तहत इलाज किया जावेगा।
- शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर एवं पूरक पोषाहार सेवायें उपलब्ध होगी।
- 0–3 व 3–6 आयु वर्ग के बच्चों को शत-प्रतिशत पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जावेगा एवं कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा।

- 90 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध होगी।
- सुरक्षित (safe) पेयजल उपलब्ध होगा।

2.3 पर्यावरण

- पंचायत समिति स्तर पर हस्तान्तरित वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत में किये गये वृक्षारोपण के शत-प्रतिशत कार्यों की देखभाल की जावेगी।
- चारा बैंक के लिए चारागाह भूमि को विकसित किया जावेगा तथा खुले चारागाह क्रमशः बन्द होंगे।
- वर्षा के पानी संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर्स बनाना।

2.4 सभी बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाया जायेगा

- वे सभी व्यक्ति जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है के पास पक्के मकान होंगे।
- 90 प्रतिशत परिवार जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं के पास पक्के मकान होंगे।

2.5

- योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत कृषि एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
- 50 प्रतिशत किसान कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का उपयोग करेंगे।
- प्रत्येक ग्राम की प्रत्येक फसल में बेहतर बीज के उपयोग के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

2.6 गांव सम्पर्क (Village Connectivity)

- गांवों को सड़को से जोड़ना—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2001 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी के सभी गांवों व रेगिस्तानी व जन-जाति क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी के समस्त गांवों को पक्की सड़को से जोड़ना।
- मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों से जुड़े गांवों एवं डब्ल्यू.बी.एम. मिसिंग सड़को को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत करना।
- धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ना—पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थानों को डामर की सड़कों से जोड़ना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना— इस योजना में सड़क कार्यक्रम के तहत 250 से 500 तक की आबादी के गांवों को ग्रेवल सड़कें (सीडी वर्क सहित) से जोड़ने के लिए संबंधित जिलों में प्रस्तावित किया जाना है।

- सड़को का नवीनीकरण – राज्य उच्च मार्गों को 6 से 8 वर्ष, मुख्य जिला सड़कों को 8–10 वर्ष व अन्य जिलों व ग्रामीण सड़को को 12 वर्ष में नवीनीकरण किये जाने के मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। जिन सड़को के निर्माण/नवीनीकरण किये हुए निर्धारित वर्ष पूर्ण हो गये हैं या सड़को पर यातायात की स्थिति को देखते हुए नवीनीकरण किया जाना आवश्यक हो गया है ऐसी सड़कों का नवीनीकरण किया जाना।
- सीसी सड़को का निर्माण – आबादी क्षेत्र से गुजरने वाले राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों पर सीमेन्ट कंकरीट/पत्थर खरन्जे का निर्माण।
- मिसिंग सीडी कार्य – राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों पर मिसिंग सीडी का कार्य।

2.7 खाद्य सुरक्षा

- ऐसे प्रत्येक निर्धन परिवार, जिन्हें दो वक्त की रोटी का संकट है, की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विकास कार्यों पर उन्हें प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर व सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अन्य राजकीय योजनाओं जिसके तहत वे पात्र हैं, का लाभ पहुंचाया जाकर उनकी शत-प्रतिशत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी।

3. विकास की वर्ष 2007–2012 तक पंचायत योजनाओं में प्रस्तुत Sectoral आवश्यकताएँ (निर्धारित परिपत्रों में) – तकनीकी vetting के आधार पर
(A)

क्र. सं.	सेक्टर का नाम	प्रपत्र	विवरण	प्रपत्र भरने वाले का पदनाम (पंचायत समिति स्तर)
1	2	3	4	5
1	पेयजल	प्रपत्र 1 भाग ii	पंचायत समिति पेयजल योजना	सहा. अभियन्ता PHED
2	सड़क व पुलिया	प्रपत्र 2 भाग ii	सड़क व पुलिया के वित्तीय प्रस्ताव	सहा. अभियन्ता PWD
3	ऊर्जा	प्रपत्र 3 भाग ii	विद्युत सम्बन्धी वित्तीय प्रस्ताव	सहा. अभियन्ता, ऊर्जा/डिस्कॉम
4	शिक्षा	परिपत्र 4 भाग iii	ग्राम सभा की मांग अनुसार नये विद्यालय स्थापना, वित्तीय प्रस्ताव	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5	स्वास्थ्य	प्रपत्र 5 भाग ii	चिकित्सा सम्बन्धी वित्तीय प्रस्ताव	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6	पशुपालन	प्रपत्र 6 भाग ii	ग्राम सभा की मांग की औचित्यता पर	ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारी की टिप्पणी
7.	जल संग्रहण कार्य	प्रपत्र 7 भाग ii (A+B)	वर्षा आधारित सामुदायिक एवं निजी जल स्रोतों की सूचना	सहायक अभियन्ता जल संसाधन
8.	वन विकास	प्रपत्र 8 भाग ii	ग्राम वन की स्थापना	रेंजर/वनपाल
9.	आवास	प्रपत्र 9 भाग ii	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इन्द्रा आवास व भू-खण्ड आवंटन	विकास अधिकारी
10.	स्वच्छता	प्रपत्र 10 भाग ii	नाली निर्माण, शौचालय आदि के वित्तीय प्रस्ताव	सहा. अभियन्ता PHED
11.	अन्य विकास सम्बन्धी मांगे	प्रपत्र 11	ग्राम सभा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विकास संबंधी मांगे	विकास अधिकारी
12.	पोषाहार	प्रपत्र 12 भाग ii	ग्राम सभा की मांग पर औचित्यपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव	महिला एवं बाल विकास अधिकारी
13.	कृषि	प्रपत्र 13 भाग ii	ग्राम सभा की मांग पर औचित्यपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव	सहायक कृषि अधिकारी

निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 13 संलग्न है। इन प्रपत्रों का भाग-। (प्रपत्र 4 का भाग i व ii) जो पंचायतवार व ग्रामवार भरा गया है, विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इसका परीक्षण कर भाग-।। की सूचना तैयार की जाकर प्रस्तुत की जा सकें।

**(B) पंचायत समिति स्तर के आधारभूत ढांचे की अतिरिक्त आवश्यकता एवं उनकी अनुमानित लागत
(पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा आंकलित)**

क्र० सं०	मौजूदा परिसम्पत्तियां (Existing Assets)	संख्या		अतिरिक्त मांग (स्थान का नाम लिखें)	संख्या	अनुमानित लागत	तकनीकी विभाग के मापदण्ड अनुसार औचित्य पूर्ण है या नहीं, यदि हां तो औचित्यपूर्ण प्रस्तावों की अनुमानित लागत का योग	विभागीय योजना मद, CSS व जनसहयोग इत्यादि से कितनी धन राशि वर्ष 2007-2012 तक व्यय होगी (वर्षवार विवरण)					शेष राशि जो चाहिए कॉलम (7-8)	
		छात्र	छात्रा					2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		योग
1	2	3		4	5	6	7	8					9	
1.	कालेज													
2.	विद्यालय a. प्राथमिक b. उच्च प्राथमिक c. माध्यमिक d. उच्च माध्यमिक													
3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान													
4.	पंचायत समिति में गांवो का													

	मुख्य बाजार केन्द्र/महत्वपूर्ण शहर से सड़क द्वारा जुड़ाव							
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र							
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र							
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र							
8.	पशु औषाधालय, अस्पताल							
9.	बस स्टेण्ड							
10.	ग्राम समूह के लिए पेयजल योजना							
11.	बिजली का ग्रिड उप केन्द्र							
12.	डेयरी प्लांट (दुग्ध संग्रह एवं प्रोसेसिंग केन्द्र)							
13.	औद्योगिक क्षेत्र							
14.	अन्य गतिविधियां							

4. पैरा 3 के प्रपत्र "A" व "B" में संकलित सूचना के आधार पर वर्ष 2007-12 तक के सैक्टरवाइज भौतिक व वित्तीय लक्ष्य वर्षवार प्रपत्रोंमें अंकित किये जायेंगे।
5. विभिन्न सेक्टर की जो मांगे/प्राथमिकताएँ विभागीय मापदण्ड अनुसार तो फिट नहीं बैठती लेकिन भौगोलिक व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण है व संसाधनों की कमी के कारण 2007-12 की योजना में शामिल नहीं किया गया, का पंचायतवार व ग्रामवार विवरण व साधनों की आवश्यकता –

पंचायत समिति पेयजल योजना

कॉलम 8 के क्रम सं. 1 से 6 में विभागीय मापदण्ड अनुसार औचित्यपूर्ण कार्यों पर अनुमानित खर्चा (लाखों में)							विभागीय योजना मद से जो कार्य वर्ष 2007-12 में किए जा सकते हैं					शेष राशि (कॉलम 10-11)	कॉलम 10 में अंकित किन-किन कार्यों हेतु बारहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, SGRY/ NREGS व स्वयं की आय से पंचायत व्यय कर सकती है? (कार्यों का नाम व राशि बताएँ)	शेष धनराशि जिसकी व्यवस्था करनी होगी (कॉलम 12-13) (लाखों में)	
10							11					12	13	14	
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6	कुल	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग			

प्रपत्र-2

भाग-2

(सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भरा जावेगा)

सड़के व पुलिया

कॉलम 5 में अंकित सड़क क्या पी.डब्ल्यू.डी द्वारा ग्रामीण सड़को के core net work का भाग है ?	यदि हाँ, तो कब तक सड़क का निर्माण PMGSY में अनुमानित है ?	यदि PMGSY में covered नहीं तो क्या प्रस्ताव औचित्यपूर्ण हैं ? सड़क बनने से क्या लाभ होगा	यदि औचित्यपूर्ण हैं तो Traffic Density को देखते हुए किस तरह की सड़क बननी चाहिए ? ग्रेवल/ WBM/BT Rd	अनुमानित खर्चा	कॉलम 9 में अंकित पुलिया/रपट का निर्माण औचित्यपूर्ण हैं ? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो अनुमानित लागत अंकित करें	कुल धनराशि की आवश्यकता (कॉलम 14 + 15)
10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र-3

भाग-2

(सहायक अभियन्ता ऊर्जा द्वारा भरा जावेगा)

ऊर्जा

विभागीय मापदण्डानुसार ग्राम सभा के कालेंम 6-11 तक के प्रस्तावों में से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव							कालेंम 12 के प्रस्तावों की पूर्ति हेतु धनराशि की अनुमानित आवश्यकता							विभागीय योजना मद व CSS में कितनी धनराशि वर्ष 2007-12 में व्यय होगी						शेष राशि जो चाहिए (कालेंम 13-14)
कालेंम 6	कालेंम 7	कालेंम 8	कालेंम 9	कालेंम 10	कालेंम 11	योग	कालेंम 6	कालेंम 7	कालेंम 8	कालेंम 9	कालेंम 10	कालेंम 11	योग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	
12							13							14						

प्रपत्र-4

भाग-3

(ब्लॉक शिक्षाधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

शिक्षा

ग्राम सभा की मांग अनुसार नये विद्यालयों की स्थापना/उच्चीकरण जो विभागीय मापदण्ड अनुसार औचित्यपूर्ण है

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	नई प्राथमिक स्कूल खोलना (संख्या)	उच्च प्राथमिक हेतु उच्चीकरण	माध्यमिक हेतु उच्चीकरण	उच्च माध्यमिक हेतु उच्चीकरण	लड़कियों का स्कूल	अतिरिक्त अध्यापक (नये स्कूलों या उच्चीकृत स्कूलों हेतु)	कॉलम संख्या 4 से 9 तक की आईटम पर अनुमानित नये स्कूल खोलने या उच्चीकृत करने में जो अतिरिक्त भवन/ फर्नीचर इत्यादि की आवश्यकता है, उस पर खर्चा अनावर्तित मद में अंकित करें। अतिरिक्त अध्यापको का खर्चा आर्वतक मद में लिखें। (लाखों में) आवर्तिक/अनावर्तिक	प्रपत्र-4 के भाग-2 के कॉलम 15 का अनुमानित खर्चा (राशि लाखों में)	कुल अनुमानित खर्चा (10 + 11) राशि लाखों में	खर्चा जिसकी आपूर्ति विभागीय योजना मद, CSS व जन सहयोग से वर्ष 2007-12 में की जा सकती है						शेष राशि (12-13)
												2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						14

प्रपत्र-5

भाग-2

(उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

कॉलम 8 में ग्रामसभा के प्रस्ताव जो विभागीय मापदण्ड अनुसार उपयुक्त है								कॉलम 9 के कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की अनुमानित आवश्यकता (लाखों में)								वर्ष 2007-12 में कॉलम 9 के कार्यों हेतु कितनी धनराशि विभागीय योजना मद/CSS/जनसहयोग में उपलब्ध है ?						शेष राशि कॉलम (10-11)	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	योग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	
								(आवर्तिक व अनावर्तिक अलग अलग दे)															
9								10								11						12	

पशुपालन

ग्राम सभा की मांग की औचित्यता पर ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारी की टिप्पणी

क्र. सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	प्रपत्र 6 के भाग 1 कॉलम सं0 7 में जो मांग विभागीय मापदण्ड अनुसार उचित है					कॉलम संख्या 4 की सुविधाओं की स्थापना पर अनुमानित खर्चा						कॉलम संख्या 5 में से कितना खर्चा वर्ष 2007-2012 में विभागीय योजना मद से हो सकता है ?						शेष धनराशि जो चाहिए कॉलम (5-6)				
			पशु उप केन्द्र की स्थापना (i)	पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना (ii)	पशु चिकित्सा ईकाई (iii)	पशु स्वास्थ्य कैंप का आयोजन (iv)	कृत्रिम ग्रभादान सेवाएँ (v)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	कुल	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग					
1	2	3	4					5						6						7				

वर्षा जल संग्रहण कार्यो का निर्माण
(सार्वजनिक एवं निजी स्रोत)

विभागीय मापदण्डानुसार कॉलम 5 व 7 के प्रस्तावों की औचित्यता एवं अनुमानित खर्चा																									
स्रोत जिन्हें गहरा/सफाई करने की आवश्यकता है।														नये सामुदायिक कार्य											
तालाब		बावड़ी/ कुंआ		पोकर		टांके		कुण्ड		एनीकट		कुल		तालाब/ पोकर पौंड इत्यादि		बावड़ी/ कुंआ		टांका/ कुंड		एनीकट/ टेंक डेम इत्यादि		अन्य (विवरण देवें)		कुल	
संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि
20														21											

कॉलम 12 के प्रस्तावों पर अनुमानित खर्चा निजी स्रोत						कुल योग	कॉलम 23 में वर्ष 2007-12 में विभागीय योजना मद/सी.एस. एस./जन सहयोग में जो वर्षवार खर्चा किया जावेगा का विवरण						शेष धनराशि जो चाहिये
फार्म पौंड (Pond)	टांका	कुण्ड	एनीकट	अन्य	कुल	(20 + 21 + 22)	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	(23-24)
22						23	24						25

ग्राम वन की स्थापना

भाग-1 के कॉलम 7 का वर्षवार ब्रेकअप विभागीय योजना मद/CSS/जनसहयोग से कितनी धनराशि वर्ष 2007-12 में उपलब्ध हो सकेगी।						शेष राशि जो चाहिए (6-7)
9						10
2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	

प्रपत्र-9

भाग-2

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इन्दिरा आवास व भूखण्ड आवंटन

भाग-1 के कॉलम 11 के क्रम में विभागीय योजना मद / CSS / जनसहयोग से कितनी धनराशि वर्ष 2007-12 में उपलब्ध हो सकेगी।						शेष राशि जो चाहिए (11-12)
12						13
2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	

प्रपत्र-10

भाग-2

(सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भरा जावेगा)

Sanitation (स्वच्छता)

कॉलम 4 से 13 तक के कार्यों की विभागीय मापदण्डों अनुसार औचित्यता											कॉलम 14 में अंकित औचित्यपूर्ण कार्यों पर अनुमानित खर्चा											वर्ष 2007-12 में विभागीय योजना मद/CSS/जन सहयोग में जो वर्षवार खर्चा किया जावेगा						शेष राशि (15-16)
																						2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	योग							
14											15											16						17

ग्राम सभा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विकास संबंधी मांगे
Other Felt needs of Socio Economic Development

क्र.स.	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अन्य मांगे जिनका विवरण पूर्व के प्रपत्रों में नहीं आया है	अनुमानित धनराशि जो चाहिये	मांग की प्राथमिकता व औचित्य पर विकास अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

नोट:- कॉलम 1 से 5 की पूर्ती ग्राम सेवक द्वारा की जावेगी एवं कॉलम 4 व 5 के क्रम में टिप्पणी विकास अधिकारी द्वारा कॉलम 6 में की जावेगी।

प्रपत्र – 12

भाग– 2

(पर्यवेक्षक / सीडीपीओ द्वारा भरा जावेगा)

पोषाहार

23					
विभागीय मापदण्डानुसार ग्रामसभा के कॉलम 17 से 22 तक के प्रस्तावों में से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव					
17	18	19	20	21	22

24						25						26						
कॉलम सं0 23 के प्रस्तावों की पूर्ति हेतु धनराशि की अनुमानित आवश्यकता						योग						विभागीय योजना मद व CSS/जन सहयोग में कितनी राशि वर्ष 2007-12 में व्यय होगी						शेष राशि जो चाहिए 24-25
												2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	
17	18	19	20	21	22													

कृषि

ग्राम सभा मी मांग की औचित्यता पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की टिप्पणी

क्र. सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	प्रपत्र 13 के भाग 1 के कॉलम 21 से 26 में जो मांग विभागीय मापदण्डानुसार सही है					कॉलम संख्या 4 की सुविधाओं की स्थापना पर अनुमानित खर्चा							
			ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों की आवश्यकता	स्प्रिंकलर की आवश्यकता (संख्या में)	ड्रिप सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता	वर्मी कम्पोस्ट बनाने की मांग (संख्या में)	उन्नत बीज व कृषि उपकरणों की आवश्यकता	मण्डी से सम्पर्क सड़क निर्माण	ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों की आवश्यकता	स्प्रिंकलर की आवश्यकता (संख्या में)	ड्रिप सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता	वर्मी कम्पोस्ट बनाने की मांग (संख्या में)	उन्नत बीज व कृषि उपकरणों की आवश्यकता	मण्डी से सम्पर्क सड़क निर्माण	योग
1	2	3	4					5							

कॉलम संख्या 5 में से कितना खर्चा वर्ष 2007-12 में विभागीय योजना मद/CSS/निजी आय से हो सकता है						शेष धनराशि जो चाहिए (कॉलम 5-6)
2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	
6						7